

**मांग संख्या 41**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा बीजापुर, नारायणपुर, दन्तेवाड़ा तथा जगदलपुर जिलों में शक्ति स्वरूपा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस पर राशि रूपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 25,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 2**

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 250 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य एवं सुधार कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस पर राशि रूपये 562.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 5,62,50,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन द्वारा 18 परियोजना कार्यालयों में प्रशिक्षण कक्ष तथा बीजापुर एवं नारायणपुर में जिला महिला बाल विकास कार्यालय भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इस पर क्रमशः राशि रूपये 147.00 लाख एवं 40.00 लाख कुल राशि रूपये 187.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 1,87,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 55**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा परियोजना कार्यालय के लिए 21 वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया है । इस पर राशि रूपये 105.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 1,05,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अर्धविक्षिप्त, बेसहारा, असहाय, परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्वास करने हेतु गैर-सरकारी संस्थानों/ स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है । इस पर राशि रूपये 50.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र भवन के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस पर 531.00 लाख का व्यय अनुमानित है । इस वर्ष राशि रूपये 100.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 4**

राज्य शासन द्वारा 500 आंगनबाड़ी भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस पर राशि रूपये 1125.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 11,25,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा 250 अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं सुधार कार्य करने का निर्णय लिया गया है । इस पर राशि रूपये 562.50 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 5,62,50,000 का प्रावधान किया गया है ।